6.1.2026

प्रार्थी राजेन्द्र पुत्र श्री मनफूल जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए पेश कर चक 1 एलएलडब्ल्यु पत्थर नम्बर 161/211 मु.न. 09 के किला नम्बर 1 ता 5 व पत्थर नम्बर 160/211 मु.न. 10 के किला नं. 1 ता 5 एव चक 4 एमएमके प.न. 161/210 मु.न. 93 के किला नं. 5,6,15,16,25 व पत्थर नम्बर 161/209 मुरब्बा न. 88 के क़िला नं. 5,6,15,16,25 में रास्ता खुलवाये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजि़स्टर किया जाकर इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया/सिचाई विभाग से उक्त प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही गई।

तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्र क्रमांक 1972 दिनांक 14.08.2025 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई है कि गै.मु. रास्ता के स्थान पर प. न. 161/210 (93) के कि. न. 5/2, 15/2. 16/2, 25/2 में पल्का खाला काफी उंचाई पर बना है व कि न. 6/2 में गै.मु. रास्ता के स्थान पर पक्का खाला व पानी की डिग्गी बनी हुयी है एव प. न. 161/211 मु. न. 9 के कि. न 1/2/23/24/2 व 5/2 व प. न. 160/211 मु. न. 10 के कि 1/22/23/24/2, व 5/2 में भी मौके पर रास्ता बंद है. जिसमें कुछ हिस्से पर फसल भी काश्त है। प. न. 161/209 मु. न. 88 के कि. न. 5/2.6/2 15/2, 16/2, का रास्ता संकरा है एवं प. न. 162/209 के कि, न. 1. 10, 11, 20, 21 में से भी टेडा मेडा चल रहा है. जहां, स्वीकृत है वहां पर पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है तथा प. न. 161/210 (93) के कि. न. 5/2.15/2, 16/2, 25/2 में गै. मु. रास्ता के स्थान पर पक्का खाला व कि. न. 6/2 में पक्की डिग्गी निर्मित है. खाले के साथ–साथ विद्युत खंभे व ट्रांसफॉर्नर लगा हुआ होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई है।

सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड हनुमानगढ़ ने अपने पत्रांक राजस्व 2025/1180 दिनांक 25.07.2025 द्वारा रिपोर्ट भिजवाई है कि यदि अप्रार्थी द्वारा जहॉ पर स्वीकृत रास्ते में जल मार्ग निर्मित किया गया है और जलमार्ग को वही पर ही रखना चाहता है तो जलमार्ग के साथ–साथ स्वीकृत रास्ता खुलवाया जाता है तो विभाग को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी का दावा स्वीकार करने की अनुशंषा सहित अपनी रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रकरण अत्यधिक समय से अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए प्रार्थना पत्र रास्ता के स्थान पर निर्मित खाला

को हटाये जाने हेतु लम्बित चल रहा है जबकि तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपनी रिपोर्ट में रास्ता पर अतिक्रमण होना बतलाया है एवं जल संसाधन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थी द्वारा जहॉ पर स्वीकृत रास्ते में जल मार्ग निर्मित किया गया है और जलमार्ग को वही पर ही रखना चाहता है तो जलमार्ग के साथ–साथ स्वीकृत रास्ता खुलवाया जाता है तो विभाग को कोई आपत्ति नही होने का कथन किया गया है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यो के आधार पर तहसीलदार राजस्व संगरिया एवं सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि आप आपस में समन्वय स्थापित कर मौके पर मौजूद खाले की स्वीकृती की स्थिति सुनिश्चित करे यदि सिंचाई विभाग में खाला स्वीकृत है और राजस्व रिकार्ड में उसका अंकन नही है तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जाकर रास्ता भी चालु करवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि सिंचाई विभाग में खाला स्वीकृत नहीं है तो नियमानुसार खाला को निर्धारित जगह पर स्वीकृत कर रास्ता खुलवाया जाना सूनिश्चित करें। संबंधित को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.1.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया